ऑटो रिक्षा का परमिट पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रक्रिया

अस्थाई अनुमा (अधिकतम 4 माह तक) पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन:--

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट (www.transport.mp.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन टेक्स पेमेंट के औपचार में अस्थाई परमिट फीस र. 400/- (सेवा शुल्क र. 31/- अतिरिक्त) जमा कर आवेदन प्रारूप क्र. एम.पी.एम.वी.आर. 45 (टी.पी.ए.) में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ वाहन के वैध बीमा एवं वैध फिटनेस की प्रति लगाकर संबंधित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

परिवहन विभाग की वेबसाइट (www.transport.mp.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी परमिट फीस र. 400/- (सेवा शुल्क र. 74/- अतिरिक्त) जमा कर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन का प्रिंटआउट लेकर उसके साथ वाहन के वैध बीमा एवं वैध फिटनेस की प्रति लगाकर संबंधित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
स्थाई अनुवत्त (5 वर्ष) पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन:--

परिवहन विभाग की वेबसाइट (www.transport.mp.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन परमिट एप्लीकेशन के माध्यम से परमिट फीस ₹ 2000/- (सेवा शुल्क ₹ 74/- अतिरिक्त) जमा कर प्रारूप क्र. एम.पी.एम.वी.आर. 43 (सी.सी.पी.ए.) में आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रिंटआउट लेकर उसके साथ वाहन के वैध बीमा एवं वैध पीयूसी की प्रति लगाकर संबंधित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

ऑटो रिक्शा का फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

ऑटो रिक्शा के फिटनेस के आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट (www.transport.mp.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन फिटनेस एप्लीकेशन का उपयोग करके वाहन स्वामी आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन ओपन करने के उपरांत आवेदक को फिटनेस नवीन वाहन का है अथवा फिटनेस का नवीनीकरण होना है, विकल्प चिह्नित करना पड़ता है। विकल्प चिह्नित करने के उपरांत अपने वाहन का नंबर डालकर वाहन निरीक्षण हेतु किस दिनांक को परिवहन कार्यालय लेकर जाना चाहिए, वह दिनांक चुनना पड़ती है। अन्य जानकारी पूर्णता भरने के उपरांत पंजीयन दिनांक से 8 वर्ष तक पुराने यान हेतु फीस ₹ 600/- (सेवा शुल्क ₹ 74/- अतिरिक्त) जबकि पंजीयन दिनांक से 8 वर्ष से अधिक पुराने यान हेतु फीस ₹ 600/- एवं हरिकर ₹ 1000/- (सेवा शुल्क ₹ 74/- अतिरिक्त) जमा कर एम.पी.एम.वी.आर. 22 (सी.एफ.ए.) में आवेदन का प्रिंट आउट, वाहन के वैध बीमा एवं वैध पीयूसी की प्रति लगाकर वाहन को लेकर संबंधित परिवहन कार्यालय जाकर अपने वाहन का निरीक्षण करवाना होगा।